तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख़ अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.6.19	पत्रावली पेश हुई।	

वादी अधिवक्ता उप0। प्रतिवादी पैरोकार उप0।

उभय पक्ष को सुना।

वादी ने इस आशय का वाद प्रस्तुत किया है कि वादी के खातेदारी की भूमि खेत खसरा नम्बर 850 रकबा 13.12 बीघा भूमि मौजा ताणूमानजी, पटवार मण्डल ताणूमानजी, तथा खेत खसरा नम्बर 2813/1063 रकबा 16.01 बीघा भूमि तह0 गडरारोड़ मे अवस्थित है। वादी की वादग्रस्त भूमि ग्राम हरसाणी मे अवस्थित वादी की खातेदारी भूमि का बंटवाडा प्रस्ताव तैयार करते वक्त हल्का पटवारी द्वारा भूलवंश वादी का नाम किशनलाल पुत्र कबीराराम के स्थान पर किशनाराम वल्द आदाराम लिख देने से उक्तानुसार बंटवाडा गलत तस्दीक होने से नामान्तकरण भी गलत पारित हो गया है। वादी के अन्य सभी आवश्यक सरकारी दस्तावेजो मे भी वादी का नाम किशनलाल पुत्र कबीराराम दर्ज है। अतः वादी ने वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में अपने नाम के शुद्धिकरण हेतु वाद प्रस्तुत किया है।

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी पैरोकार को सम्मन जारी किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार गडरारोड़ ने अपने जबाव मे वादी के नाम को दुरूस्त किये जाने मे अपनी अनापति जाहिर की है। वादी ने ब्यान शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। वादी ने अपने ब्यान शपथ पत्र में दस्तावेज प्रदर्श करवाये। वादी ने अपने वाद के समर्थन में दस्तावेजात नकल वर्तमान जमांबंदी, आधार कार्ड, भामाशह कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, सहकारी किसान कार्ड की डायरी, विद्याालय रेकर्ड, व अन्य दस्तावेजात प्रस्तुत किये।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो व मौखिक अभिकथनों तथा प्रतिवादी के जवाब का अवलोकन किया। जिसमें वादी का नाम किशनलाल पुत्र कबीराराम ही है।

लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम ताणूमानजी, खेत खसरा नम्बर 850 रकबा 13.12 बीघा तथा ग्राम हरसाणी पटवारी मण्डल–ताणूमानजी तह0 गडरारोड़ के खेत खसरा नम्बर 2813/1063 रकबा 16.01 बीघा भूमि के राजस्व रेकर्ड मे अन्य सभी प्रविष्टियां यथावत रखते हुए वादी का नाम किशनाराम वल्द कबीराराम के स्थान पर किशनलाल पुत्र कबीराराम घोषित किया जाता है। तहसीलदार गडरारोड़ को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमलदरामद सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.06.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
शिव जिला–बाड़मेर

सहायक कलक्टर (SDO) शिव

सहायक कलक्टर (SDO) शिव जिला बाड़मेर

अन्तिम डिकी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता)

(Civil Procedure Code, Applendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (उपखण्ड़ अधिकारी) शिव
पीठासीन अधिकारी श्री प्रताप सिंह आई.ए.एस.

वादी :— किशनलाल पुत्र कबीराराम, जाति— मेगवाल, नि0 हरसाणी, तह0 गडरारोड़

बनाम

प्रतिवादी :— 1. राज0 राज्य जरिए तहसीलदार शिव।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :— 1. श्री ब्रजमोहन कुमावत एडवोकेट— वादी।
2. प्रतिवादी संख्या 01 पैराकार उप0।

अन्तिम डिकी

वादी एवं प्रतिवादीगण को आज दिनांक 24.06.2019 को सहायक कलक्टर शिव के समक्ष अन्तिम रूप से निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिकी दी जाती है कि:—

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम ताणूमानजी, खेत खसरा नम्बर 850 रकबा 13.12 बीघा तथा ग्राम हरसाणी पटवारी मण्डल—ताणूमानजी तह0 गडरारोड़ के खेत खसरा नम्बर 2813/1063 रकबा 16.01 बीघा भूमि के राजस्व रेकर्ड मे अन्य सभी प्रविष्टियां यथावत रखते हुए वादी का नाम किशनाराम वल्द कबीराराम के स्थान पर किशनलाल पुत्र कबीराराम घोषित किया जाता है। तहसीलदार गडरारोड़ को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमलदरामद सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है।

निर्णय आज तारीख 24.06.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) शिव जिला बाड़मेर

(प्रताप सिंह)
सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pratap Singh
Date: 2020.01.15 12:58:06 IST
Reason: SelfAttested
Location: